

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पुस्तिका

अध्याय-1

प्रस्तावना

- 1.1 **कृपया हस्तपुस्तिका की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)।**
भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 जून, 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया जा चुका है। इस अधिनियम को अमली जामा पहनाने के लिए इस पुस्तिका का विनिर्माण किया गया है।
- 1.2 **हस्तपुस्तिका का उद्देश्य।**
इस हस्तपुस्तिका का उद्देश्य बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ाने के लिए सूचना पर नागरिकों की पहुंच बढ़ाना है जिससे आम नागरिक बोर्ड के विभिन्न क्रियाकलापों, गतिविधियों, नीतियों आदि की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।
- 1.3 **यह हस्तपुस्तिका किन व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों इत्यादि के लिये उपयोगी है।**
यह हस्तपुस्तिका विशेष रूप से आम नागरिकों के लिए उपयोगी है जो बोर्ड की गतिविधियों, क्रियाकलापों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इसके साथ ही शासकीय संस्थाओं, अन्य लोक उद्यमों, स्थानीय निकायों, गैर शासकीय संस्थाओं, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, मीडिया, सामुदायिक एवं स्वैच्छिक संगठनों इत्यादि के लिए भी यह पुस्तिका उपयोगी है।
- 1.4 **हस्तपुस्तिका का प्रारूप**
हस्तपुस्तिका में कुल 18 अध्याय हैं, जो क्रमवार बोर्ड के संबद्ध सभी आयामों को सरल रूप से प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 1 हस्तपुस्तिका के उद्देश्य, संरचना, एवं उपयोग के बारे में जानकारी देते हैं। अध्याय 2, 3, 4, 5, बोर्ड के कृत्य और जवाबदारियों, संगठनात्मक संरचना, अधिकारियों और कर्मचारियों के दायित्व, निर्देशक अभिलेख कार्यप्रणाली एवं नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में हों उनका विवरण देता है। अध्याय 6 बोर्ड के पास उपलब्ध दस्तावेजों की एवं उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है इसी तरह अध्याय 7 बोर्ड के अधीन निकाय, परिषद, समितियों की जानकारी देता है। अध्याय 8 लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अथॉरिटी की जानकारी देता है। अध्याय 9 बोर्ड के निर्णय प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। अध्याय 10 एवं 11 कार्यरत कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक एवं निर्धारण पद्धति को बताता है। अध्याय 12 वित्तीय सूचनाओं पर प्रकाश डालता है एवं अध्याय 13 सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की पद्धति बताता है इसी तरह अध्याय 14 रियायतों तथा अनुज्ञा प्रपत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं के संबंध में विवरण देता है। अध्याय 15 बोर्ड की कार्यप्रणाली के लिए स्थापित नियमों को दर्शाता है। अध्याय 16 उन सूचनाओं का उल्लेख करता है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मट में हैं तथा अध्याय 17 नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का उल्लेख करता है। अध्याय 18 में जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर दिये गये हैं।

1.5 परिभाषाएँ कृपया हस्तपुस्तिका में प्रयोग की गयी शब्दावली को परिभाषित करें।
हस्तपुस्तिका में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएं:-

इस पुस्तिका में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18)
- (ख) 'प्राधिकरण से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण,
- (ग) 'बोर्ड' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 22 के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड,
- (घ) 'समिति' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 41 के अधीन स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित जैवविविधता प्रबंधन समिति ।
- (ङ) जैविक विविधता : (वनस्पति, प्राणी तथा वैकटीरिया जैसे सूक्ष्म जीव) जीवों में व्याप्त भिन्नता तथा उन रहवासों की भिन्नता, जहां ये जीव बसते हैं। किसी एक जीव के भीतर पाई जाने वाली आनुवंशिक भिन्नता भी इसमें शामिल है।
- (च) जैविक संसाधन : जीव या उनका कोई भाग या अंग, उनसे प्राप्त जीन (आनुवंशिक इकाई) और इसके उत्पाद (मूल्य वर्द्धित उत्पादों को छोड़कर) जिनका कि वर्तमान में उपयोग एवं मूल्य हो या उनके उपयोग एवं मूल्य की सम्भावना हो। मनुष्यों के जीन इसमें सम्मिलित नहीं है।
- (द) जैविक सर्वे एवं जैव उपयोग : जीव प्रजातियों, किस्मों अथवा नस्लों, जीन, जैविक संसाधन के किसी घटक का सर्वे या संग्रहण। यह सर्वे या संग्रहण भले ही किसी भी उद्देश्य से क्यों न किया गया हो। (इसमें सम्मिलित है, सूचीबद्ध करना और जीवों पर किये गये वायोएसै अथवा वैज्ञानिक प्रमाणीकरण)।
- (ज) वाणिज्यिक उपयोग:
में वाणिज्यिक उपयोग से है। इसमें सम्मिलित हैं - ड्रग्स, औद्योगिक इन्जाइम्स, खाद्यान्न में खुशबू, सुगन्ध, सौन्दर्य प्रसाधन, इमल्सीफायर, ओलियोरेजिन्स, रंग, एक्सट्रेक्ट और फसल तथा मवेशियों की नस्ल सुधार में जीन का उपयोग। परम्परागत रूप से पशु नस्ल सुधार, परम्परागत तरीकों से फसल, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन एवं पशुपालन में किये गये सुधार इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

1.6 हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिये संपर्क व्यक्ति।

प्रबंधक प्रशासन म0 प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड, लोक सूचना अधिकारी एवं मैनेजर सिस्टम्स, सहायक लोक सूचना अधिकारी ।

1.7 हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क। आवेदन करके सूचना प्राप्त की जा सकती है, ए-4 आकार की छायाप्रति के एक पृष्ठ की जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ का शुल्क निर्धारित है।

अध्याय – 2 (मैनुअल – 1) संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य

बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य में पाई जाने वाली जैव विविधता का संरक्षण, उसके संवहनीय उपयोग की व्यवस्था तथा इससे उद्भूत लाभों के समुचित बंटवारे को सुनिश्चित करने से है।

2.1 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन

“प्रदेश की प्रचुर जैवविविधता के संरक्षण, इसके संवहनीय उपयोग तथा प्राप्त होने वाले लाभों के समुचित बंटवारे पर आधारित ऐसा विकास, जो लोगों को सशक्त कर सके”

2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन जैवविविधता अधिनियम 2002 के अन्तर्गत वैधानिक इकाई के रूप में किया गया है। बोर्ड के गठन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2005 में जारी की गई है।

2.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य

बोर्ड के कर्तव्य :-

- राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये किसी मार्गदर्शन के अधीन रहते हुए जो जैवविविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग में से उद्भूत फायदों के साम्यपूर्ण हिस्सा बंटाने के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना।
- वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और भारतीयों द्वारा किसी जैवविविधता संसाधन के जैव उपयोग के लिए अनुमोदन या अन्यथा अनुरोध को मंजूर करके, विनियमित करना।
- ऐसे अन्य कृत्यों को करना जो जैवविविधता अधिनियम 2002 के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो और राज्य सरकार द्वारा विहित किये जावें।

2.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य

बोर्ड के मुख्य कृत्य निम्नानुसार है:-

- (एक) अधिनियम की धारा 23 के अधीन उपबंधित क्रियाकलापों को शासित करने के लिए प्रक्रिया तथा मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकशित करना।
- (दो) राज्य सरकार को निर्देक्षिका (मैनुअल), सहिताएं (कोडस), या मार्गदर्शन (गाइडस) जैवविविधता के संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्त्रोंतों ओर ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ के उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन से संबंधित विषयों के संबंध में सलाह देना।
- (तीन) राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना
- (चार) भारतीय नागरिकों द्वारा किसी जैव संसाधन की वाणिज्यिक उपयोगिता या जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोगिता के लिए अनुरोधों को अनुमोदन प्रदान करके या अन्यथा विनियमित करना।

- (पांच) राज्य जैवविविधता कार्यनीति तथा कार्य योजना का अद्यतनीकरण तथा कार्यान्वयन को सुकर बनाना ।
- (छः) अध्ययन करवाना तथा जांच और अनुसंधान प्रायोजित करना ।
- (सात) बोर्ड के कृत्यों के प्रभावी निष्पादन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, जो तीन वर्ष से अधिक न हो सलाहकार नियुक्त करना। परन्तु यदि किसी सलाहकार को तीन वर्ष की कालावधि से परे नियुक्त किया जाना आवश्यक तथा समीचीन हो तो बोर्ड ऐसी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन मांगेगा ।
- (आठ) जैवविविधता के संरक्षण उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग तथा जैवीय संसाधनों तथा ज्ञान से उद्भूत लाभों के उचित ओर साम्यपूर्ण प्रभाजन से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकीय आंकड़ें (डाटा) संग्रहीत संकलित तथा प्रकाशित करना ।
- (नौ) जनसंपर्क साधन के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग और जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभों के उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन से संबंधित एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित करना ।
- (दस) जैव विविधता संरक्षण और उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग के लिए कार्यक्रमों में लगे हुए या लगाए जाने वाले कार्मिकों के लिए योजना और प्रशिक्षण आयोजित करना ।
- (ग्यारह) प्रभावी प्रबंधन, संवर्धन तथा पोषणीय उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जैवविविधता संसाधनों तथा उससे संबंधित पारम्परिक ज्ञान के लिए जैव विविधता रजिस्टर तथा इलेक्ट्रानिक डाटा बेस के माध्यम से डाटा बेस तैयार करने तथा सूचना और प्रलेखीकरण प्रणाली बनाने हेतु कदम उठाना ।
- (बारह) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लए स्थानीय निकायों/जैवविविधता प्रबंधन समितियों को लिखित में या समुचित मौखिक साधनों के माध्यम से निर्देश देना तथा संरक्षण, पोषणीय उपयोग तथा साम्यपूर्ण लाभों के प्रभाजन से संबंधित समस्त उपायों में उनकी अर्थपूर्ण सहभागिता को सुकर बनाना ।
- (तेरह) बोर्ड के कृत्यों तथा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट देना ।
- (चौदह) समय-समय पर जैविक संसाधनों की फीस की अनुशंसा करना, उसे विहित करना उपांतरित करना तथा संग्रहीत करना ।
- (पन्द्रह) ऐसे तरीके ढूंढना जिससे अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके जिसमें जैविक संसाधन तथा उससे सहयुक्त ज्ञान पर बौद्धिक संपत्ति संबंधी अधिकार ओर ऐसी समुचित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखे जाने की प्रणाली सम्मिलित है तथा उसमें पीपल्स बाओडाइवरसिटी रजिस्टर में रिकार्ड की गई जानकारी का संरक्षण सुनिश्चित करना भी सम्मिलित है ।
- (सोलह) जैवविविधता प्रबंधन समितियों को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत करना ।
- (सत्रह) अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में किसी क्षेत्र के भौतिक निरीक्षण का जिम्मा लेना ।
- (अठारह) यह सुनिश्चित करना कि जैव विविधता तथा उस पर आश्रित जीविका योजना एवं प्रबंधन के समस्त सेक्टरों में, तथा राज्य से लेकर स्थानीय योजना के सभी स्तरों पर एकीकृत हो जाए ताकि उनके संरक्षण तथा पोषणीय उपयोग के लिए प्रभावी रूप से योगदान देने के लिए ऐसे सेक्टरों और प्रशासकीय स्तरों को समर्थ बनाया जा सके ।
- (उन्नीस) बोर्ड का, उसको स्वयं की प्राप्तियों के साथ ही राज्य तथा केन्द्रीय सरकार से उसके अवमूल्यन को भी समाविष्ट करते हुए, वार्षिक बजट तैयार करना परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित उपबंधों के अनुसार प्रचालित किया जाएगा ।

- (बीस) बोर्ड को, समस्त प्रावधानों को प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की पूर्ण शक्तियाँ होगी वह तथापि ऐसी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति शक्तियों को जैसी कि आवश्यक समझी जाएं, बोर्ड सदस्य सचिव को प्रत्यायोजित कर सके।
- (इक्कीस) बोर्ड द्वारा कृत्यों के प्रभावकारी निर्वहन के लिए राज्य सरकार को पदों के सृजन के लिए सिफारिश करना तथा ऐसे पदों का सृजन करना परन्तु ऐसा पद चाहे वह/स्थायी/अस्थायी या किसी अन्य प्रकृति का हो, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना सृजित नहीं किया जाएगा।
- (बाईस) ऐसे अन्य कृत्यों का जैसे कि अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हों या जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित किए जाएं पालन करना।
- (तेईस) जंगम तथा स्थावर, दोनों ही सम्पत्ति को अर्जित, धारण तथा व्ययन करने और उसके लिए संविदा करने की शक्ति होगी।

2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण।

- **राज्य जैवविविधता सूचना प्रणाली:**
 - बोर्ड के द्वारा जैवसंसाधनों के संरक्षण तथा उसके संवहनीय उपयोग के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाना प्रस्तावित है। इस हेतु राज्य जैवविविधता सूचना प्रणाली विकसित की जा रही है।
- **क्षमता वृद्धि:**
 - स्थानीय निकायों को जैवविविधता और उससे संबंधित उनके ज्ञान के दस्तावेजीकरण के लिए प्रशिक्षण सेवाएँ प्रदत्त की जा रही हैं।
 - जैवविविधता संरक्षण से जुड़े विभिन्न सहभागियों/ऐजेन्सीज के लिए व्यापक जागरूकता पैदा करना।
- **सलाहकार सेवाएँ:**
 - राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं निकायों में जैवविविधता के मुद्दों पर आवश्यक सलाह उपलब्ध कराना।

2.6 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा (जहाँ लागू हो)

बोर्ड एक वैधानिक इकाई के रूप में कार्यरत है, इसका संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार है:-

नाम	—	मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
अध्यक्ष	—	राज्य के मुख्य सचिव
पदेन सदस्य	—	कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश
पदेन सदस्य	—	कुलपति, जवाहरलाल नेहरू कृषिविश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश
पदेन सदस्य	—	प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, मध्यप्रदेश
पदेन सदस्य	—	सचिव/प्रमुख सचिव, जैवविविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी
पदेन सदस्य	—	सदस्य सचिव, राज्य जैवविविधता बोर्ड, मध्यप्रदेश
अशा0 सदस्य	—	सर्व श्री एम0 एन0 बुच, भोपाल
अशा0 सदस्य	—	सर्व श्री के0सी0 उपाध्याय, दिल्ली
अशा0 सदस्य	—	सर्व श्री एच0 एस0 पवार, गुड़गांव
अशा0 सदस्य	—	सर्व श्री इन्द्र बहादुर सिंह, सागर
अशा0 सदस्य	—	सर्व श्री श्रीकान्त जमींदार, इन्दौर

बोर्ड का कोई संभागीय/जिला/ब्लाक कार्यालय नहीं है ।

2.7 लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएँ

बोर्ड की कार्यदक्षता बढ़ाने के लिए जन सहयोग की अपेक्षाओं को नियमों में प्रावधानित किया गया है। स्थानीय निकायों के स्तर पर जैव विविधता संरक्षण समितियों का गठन किया जाकर लोकप्राधिकरण के कार्यों में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की जानी है। इसके लिए स्थानीय स्तरों पर जैवविविधता प्रबन्धन समितिया गठित की जानी हैं, इन समितियों के निम्न कार्य होंगे :-

- जैव विविधता तथा उससे संबंधित ज्ञान का दस्तावेज तैयार करना तथा उसकी सुरक्षा करना।
 - व्यापारिक उद्देश्य के लिए प्राप्त की गई जैविक सम्पदा पर शुल्क आरोपित करना अथवा लगाना।
 - संरक्षण सुनिश्चित करते हुए तथा जैविक सम्पदा को कायम रखते हुए दोहन और उससे प्राप्त लाभों का बराबरी से बंटवारा करना।
- स्थानीय योजना में जैव विविधता के सरोकारों को एकीकृत करना।

2-7 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था

स्थानीय निकाय जैसे – ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम की जैव विविधता प्रबंध समितियाँ गठित करेंगे । स्थानीय निकाय चाहें तो अपनी वर्तमान समितियों में से किसी एक समिति या सामान्य सभा को यह दायित्व सौंप सकती है।

2-8 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था

बोर्ड की त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जाना प्रावधानित है। बोर्ड के सदस्य सचिव शिकायत निवारण का कार्य देखेंगे।

2-9 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (कृपया पतों का जनपदवार वर्गीकरण करें)

बोर्ड कार्यालय का पता निम्नानुसार है:-

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड,
तीसरी मंजिल, बीज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462 011
दूरभाष :- 0755-2554539, 2764911

2.12 कार्यालय के खुलने का समय : प्रातः 10.30
कार्यालय के बन्द होने का समय : सांय 5.30

अध्याय – 3 (मैनुअल – 2)
अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य,

कृपया निम्न प्रारूप पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य का विवरण उपलब्ध कराएं।

मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम 2004 के अन्तर्गत बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव एवं कर्तव्य का विवरण निम्नानुसार है:

पद का नाम			
अध्यक्ष, म0 प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड,			
	कर्तव्य	(1)	अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड के क्रियाकलाप प्रभावशील रूप से तथा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार चल रहे हैं।
		(2)	अध्यक्ष बोर्ड के समस्त सम्मिलनों को बुलाएगा तथा उसकी अध्यक्षता करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा लिए गए समस्त विनिश्चयों का उचित रीति में निष्पादन हो रहा है।
		(3)	अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो बोर्ड द्वारा उसे समय-समय पर प्रत्यायोजित किए जाएं।
शक्तियाँ	प्रशासकीय	1.	अध्यक्ष को, बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द पर सामान्य अधीक्षण की शक्ति होगी तथा अध्यक्ष बोर्ड के क्रियाकलाप के संचालन और प्रबंधन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगा।
	वित्तीय	1	बजट स्वीकृति के विरुद्ध सामग्री एवं सेवा प्राप्ति के लिए तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के पूर्ण अधिकार।
		2	रिसर्च परियोजनाओं को स्वीकृत करने एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के पूर्ण अधिकार।
	अन्य		
सदस्य सचिव, म0 प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड,			
	कर्तव्य	(1)	बोर्ड के अध्यक्ष के मार्गदर्शन के अधीन, बोर्ड के दिन प्रतिदिन के प्रशासन, निधियों के प्रबंधन तथा विभिन्न क्रियाकलापों या कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व।
शक्तियाँ	प्रशासकीय	1	बोर्ड के कर्मचारियों पर प्रशासकीय नियंत्रण।
		2	कर्मचारियों की स्थापना से संबंधित समस्त मामले।
		3	बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले समस्त आदेश या अनुदेश पर हस्ताक्षर करने का अधिकार।
		4	स्वयं या प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से समस्त गोपनीय कागज-पत्रों का भारसाधक तथा उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी। जब कभी भी बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निर्देशित किया जाए वह ऐसे कागज पत्र पेश करने का दायित्व।

		5	बजट स्वीकृति के विरुद्ध सामग्री एवं सेवा प्राप्ति के लिए तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के 10 लाख रुपये की सीमा तक के अधिकार।
		6	बोर्ड के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द के गोपनीय प्रतिवेदन लिखेगा तथा उन्हें संधारित करना और उन्हें अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवाना।
		7	बोर्ड द्वारा समय समय पर प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और अन्य कृत्यों का पालन करना।
	वित्तीय	1	स्वयं या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से अनुमोदित बजट में से समस्त भुगतानों को स्वीकृत तथा संवितरित करना।
		2	सदस्य सचिव को, यथा-स्थिति बोर्ड के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, बोर्ड के बजट में सम्मिलित प्रावधानों पर प्रशासनिक स्वीकृति देने की शक्ति होगी।

अध्याय – 4 (मैनुअल – 3)
कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

- 4.1 लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत कराएं (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिए पृथक से प्रस्तुत करें)

अभिलेख का नाममध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता नियम 2004	-	नियम
अभिलेख का प्रकार		
		निम्न में से किसी एक प्रकार का चुने (नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका, अभिलेख, अन्य)
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय		- म0 प्र0 शासन द्वारा 17 दिसम्बर 2004 को म0 प्र0 राज्य जैवविविधता नियम अधिसूचितकिये गये हैं जो बोर्ड के लिए मार्गदर्शक हैं।
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?		पता : म0 प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड, तीसरी मंजिल, बीज भवन, अरेरा हिल्स भोपाल दूरभाष: 0755-2554539,2764911 फैक्स : 0755-2764912 ई0 मेल0 mpsbbbhopal@eth.net
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)		निःशुल्क

अध्याय – 5 (मैनुअल – 4)
नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन – प्रतिनिधी
से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण हेतु

5.1 क्या लोक प्रधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधी की परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान है? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

– लागू नहीं (बोर्ड का कार्य नीति निर्धारण का नहीं है)।

स0 क0	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था

नीति के कार्यान्वयन हेतु

- 5.2 क्या लोक प्रधिकारण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से/की परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान है? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

– लागू नहीं

स0 क0	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था
	जैवविविधता के संरक्षण, उसके संवहनीय उपयोग तथा लाभों के समुचित बंटवारे के संबंध में बनाई जाने की रणनीति और उसका क्रियान्वयन।	हाँ	जैवविविधता बोर्ड के अशासकीय सदस्यों में कम से कम २ सदस्यों का नामांकन समुदायों में से किया जना है। वर्तमान में गठित बोर्ड में श्री इन्द्रबहादुर सिंह, कृषक सागर जिले से एवं श्री श्रीकान्त ज़मींदार कृषक इन्दौर जिले से बोर्ड पर अशासकीय सदस्य के रूप में नामांकित हैं।

अध्याय – 6 (मैनुअल – 5)
लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों
(Categories के अनुसार विवरण)

- 6.1 लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें। साथ ही यह भी बताएँ कि यह दस्तावेज कहाँ उपलब्ध रहते हैं जैसे कि सचिव स्तर पर, निदेशालय स्तर पर, अन्य (कृपया "अन्य" का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें)

स0क0	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1.	म0 प्र0 राजपत्र (असाधारण)	म0 प्र0 राज्य जैवविविधता नियम 2004	बोर्ड को लिखित आवेदन देने पर	सदस्य सचिव

अध्याय – 7 (मैनुअल – 6) बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

7.1 कृपया लोक प्राधिकरण से संबद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रारूप के आधार पर दें।

- बोर्ड के अधीन कोई निकाय परिषद समितियां कार्यरत नहीं हैं।

अध्याय – 9 (मैनुअल-8) निर्णय लेने की प्रक्रिया

- 9.1** किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ? (सचिवालय मैनुअल और बिजीनेस मैनुअल के नियमों, आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है।)
- जैवविविधता बोर्ड एक निगमित निकाय के रूप में अधिनियम के अन्तर्गत गठित ईकाई है, समस्त महत्वपूर्ण निर्णय बोर्ड की बैठकों में लिये जाते हैं, बोर्ड की बैठक 3 माह में एक बार आयोजित की जाती है वर्ष में 4 बैठकें किया जाना प्रावधानित है।
- 9.2** किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिए किस-किस स्तरों पर विचार किया जाता है।
- बोर्ड की बैठक के लिए ऐजेन्डा में निर्धारित बिन्दुओं पर बोर्ड के सदस्यों द्वारा चर्चा उपरान्त निर्णय लिये जाने की व्यवस्था है। किसी भी मुद्दे पर निर्णय हेतु यदि आवश्यक हो तो उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत अथवा मतदान से किया जाना प्रावधानित है।
- 9.3** लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था है?
- वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों के माध्यम से पहुंचाये जाने प्रावधानित हैं।
- 9.4** विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है?
- जैवविविधता नियमों में बोर्ड द्वारा फैसला लेने में मदद के लिए तकनीकी सलाह का प्रावधान किया गया है। बोर्ड आवश्यकतानुसार ऐसी विशेषज्ञ समितियों का गठन कर सकता है।
- 9.5** अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी ?
- अंतिम निर्णय का अधिकार बोर्ड को है।
- 9.6** मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	
दिशा – निर्देश (यदि हो तो)	
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें	

अध्याय-11 (मैनुअल-10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और
उसके निर्धारण की पद्धति

1.1 कृपया जानकारी निम्न प्रकार दें।

समय समय पर परिवर्तन शील

मध्य प्रदेश शासन के नियम लागू

अध्याय-12 (मैनुअल-11)

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्ययों प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

निर्माण, विकास, तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरणों के लिए

12.1 लोक प्राधिकरण के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट की सूचना, जिस कि सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना हो, निम्न प्रारूप में दें।

— परिवर्तनशील

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक	कार्य समापन की अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में)	कुल व्यय	राशि रु. लाखों में कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
1									
2									
3									
4									

अन्य लोक प्राधिकरणों के लिए

जैवविविधता बोर्ड को राज्य शासन से मिलने वाले अनुदान का विवरण:-

क्र.सं.	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में)	राशि रु० लाख में कुल व्यय
1.	म० प्र० राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्यों हेतु	100.00 लाख	100.00 लाख		परिवर्तनशील

अध्याय-13 मैनुअल 12

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएँ।

- कार्यक्रम/योजना का नाम
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा
- कार्यक्रम का उद्देश्य
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)
- लाभार्थी की पात्रता
- पूर्वापेक्षाएँ
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
- पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया
- आवेदन करने के लिए कहाँ/किससे सम्पर्क करें।
- आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो)
- अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो)
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएँ कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)
- संलग्नकों की सूची
- संलग्नों का प्रारूप
- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहाँ सम्पर्क करें
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर ब्लाक स्तर पर इत्यादि)
- लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर)

- लागू नहीं

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला/गांव	मकान नं.
लागू नहीं								

अध्याय-14 (मैनुअल-13)
रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

14.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएँ।

- कार्यक्रम का नाम
- प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने)
- उद्देश्य
- लक्ष्य (विगत वर्ष में)
- पात्रता
- पात्रता का आधार
- पूर्वापेक्षाएँ
- प्राप्त करने की प्रक्रिया
- रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिए निर्धारित समय सीमा
- आवेदन शुल्क
- आवेदन पत्र प्रारूप
- संलग्नकों की सूची
- संलग्नों का प्रारूप
- प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर)

– लागू नहीं

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	प्राप्तिकर्ता का नाम	वैधता किस दिनांक तक है	वल्दियत	निवास			
				जिला	शहर	मोहल्ला / गांव	मकान नं.
लागू नहीं							

रियायत के लिए निम्न जानकारी भी उपलब्ध कराएँ।

- दिये जाने वाले लाभ का विवरण
- लाभ के वितरण की प्रक्रिया

अध्याय-15 (मैनुअल-14) कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

- 15.1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध करायें।

म0 प्र0 राज्य जैवविविधता नियम 2004

अध्याय-16 (मैनुअल-15) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

- 16.1 विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो।

म0 प्र0 राज्य जैवविविधता नियम 2004

अध्याय-17 (मैनुअल-16) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

- 17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की व्यवस्था का विवरण जैसे
- पुस्तकालय ✓
 - नाटक/नुक्कड़
 - अखबारों के द्वारा ✓
 - प्रदर्शनी ✓
 - सूचना पटल ✓
 - अभिलेखों का निरीक्षण
 - दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था ✓
 - उपलब्ध विभागीय मैनुअल
 - लोक प्राधिकरण की वेबसाईट ✓
 - अन्य प्रचार प्रसार के साधन ✓

अध्याय-18 (मैनुअल-17) अन्य उपयोगी जानकारियाँ

18.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर।

समझें जैव विविधता के मायने

जल, जंगल, जमीन, और वायु से हमारे जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं। इनके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैविक सम्पदा की सम्पन्नता उसकी विविधता में है, अर्थात् जितने अधिक किस्म की वनस्पतियां पेड़-पौधे, अनाज, जीव-जन्तु, जल स्रोत आदि हमारी प्रकृति के खजाने में होंगे उतनी ही स्वस्थ होगी हमारी धरती और उस पर बसने वाले। हम यह भी कह सकते हैं कि जितनी सम्पन्न या बर्बाद हमारी जैवविविधता होगी उतना ही सम्पन्न या बर्बाद पृथ्वी पर जीवन होगा। जैवविविधता की सुरक्षा और बढ़ोत्तरी से ही सुखी जीवन संभव है।

जैवविविधता को कैसे समझा जाये ?

जाकी रही भावना जैसी/प्रभु मूरत देखी तिन तैसी । यही बात जैवविविधता को समझने के लिए भी कही जा सकती है। अलग अलग लोगों ने अपने अपने नजरिये से इसे समझा है। जैसे जंगल में और उसके करीब रहने वाले दूदू गोंड के लिए उसका घर, खेत, तरह तरह के अनाज और रोजी रोटी, दवादारु की जुगाड़, उसके तीज त्यौहार, सभी कुछ है। इमरती बाई के लिए मुसीबत के दिनों में (अनाज की कमी होने पर) बैचांदा और जंगल में मिलने वाले वे कंद हैं जिन्हें रांधकर (पकाकर) वह अपने परिवार का पेट भरती है। उनके लिए यह जीवन की थाती है, कहीं इसे वे बारा मिजरा तो कहीं बारानाजा तो कहीं सटर-पटर, के रूप में जैवविविधता को देखते हैं।

वैज्ञानिकों और शिक्षित वर्ग के लिए जैव विविधता का महत्व प्रकृति या पारिस्थितिकीय तंत्र से जुड़ी सेवाओं में देखने को मिलता है। पानी का चक्र, पोषक तत्वों का चक्र, कार्बन डाई आक्साइड जैसी गैस को सोखने और ऑक्सीजन देने की अमूल्य सेवाओं से जैवविविधता का महत्व समझा जा सकता है। अनेकानेक प्रजातियों और उनकी किस्मों में बसता है, अपार जीन पूल। उदाहरण के लिए गेंहूँ की बौनी किस्म बनाने के लिये भी जरूरत पड़ी थी, ऐसे ही जीन या आनुवांशिक इकाई की। भविष्य में चिकित्सा के क्षेत्र में और खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने में इसी जीन पूल की जरूरत होगी।

वनों के प्रबंधकों के लिए जैव विविधता इमारती लकड़ी और दूसरे वन उत्पाद का साधन है जो राज्य की एवं स्थानीय लोगों की आमदनी का भी बड़ा जरिया है। सैकड़ों तरह की लघु वनोपज (जैसे- अचार, महुआ, तेंदूपत्ता, लाख आदि) एवं औषधीय पौधे इसी विविधता का अंग हैं। कृषि विशेषज्ञों ने अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों/किस्मों आदि को महत्व दिया है।

फिर एक ओर व्यापारी वर्ग एवं दवाई उद्योग है, जिसे हर्बल सौंदर्य प्रसाधनों, दवाईयों एवं जीवन उपयोगी हर्बल सामग्री के लिए जैवविविधता महत्वपूर्ण है।

प्रकृति प्रेमी, प्रकृति की गोद में आनन्द, साहसिक यात्राओं, वन्य जीवन से साक्षात्कार, ज्ञान पर्यटन के लिए इसे चाहते हैं। जैविक सम्पदा से व्यापार की संभावनायें देखते हुए "आम के आम गुठलियों के

दाम” की कहावत को साकार करने के लिए जैवविविधता महत्व रखती है। तो समाज के एक तबके के लिए नदियों के तट पर और पर्वतों पर स्थित देव स्थान तीर्थ स्थान के रूप में महत्वपूर्ण हैं ।

इस तरह हम देखते हैं कि जैवविविधता को अलग-अलग तबके के लोग अपने-अपने नजरिये से देखते व समझते हैं। इन सबके शब्द या कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, परन्तु सबके सरोकार स्वस्थ और मजबूत जैव विविधता के लिए ही है । जरूरत है वनवासियों, ग्रामीणों, किसानों, मजदूरों वैज्ञानिकों विभिन्न व्यापारियों, वन प्रबन्धकों, शासकीय निकायों, स्वैच्छिक संस्थाओं, प्रकृति प्रेमियों और समाज के सभी तबके के साझा नजरिये को और उनके हितों को ध्यान में रखकर संरक्षण की/प्रभावी रणनीति बनाने की।

यह तो हो गई अलग अलग लोगों की बात फिर भी थोड़े (संक्षेप) में तो बताओ कि जैवविविधता है क्या?

हम कह सकते हैं कि जैवविविधता कुदरत की जैविक सम्पदा और समृद्धि का सम्पूर्ण स्वरूप है जिसमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे यहां तक कि आंखों से न दिखने वाले जीवाणु तथा बैक्टीरिया तक सभी तरह के जीव पेड़ पौधे, लताएँ, घास-पात और वनस्पति जगत का सभी कुछ। जीव जगत के इन अलग-अलग तरह की वनस्पतियों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं तथा कई तरह के इनके रहवासों और फिर एक दूसरे से उनके संबंध से ही जैवविविधता को समझा जा सकता है। और हां इन लाखों तरह के जीवों में प्रत्येक जीव प्रजाति के भीतर व्याप्त विविधता (अनुवांशिक विविधता जैसे धान की सैकड़ों किस्में) जीवन की निरंतरता के लिए आधार बनाती है।

कुदरत में इतनी ज्यादा विविधता क्यों?

इस बात को दो तरह से समझ सकते हैं एक तो मामूली तौर पर यह कि मान लो आपके पास गेहूं का अकूत भण्डार हो, दुनिया भर की जरूरत से भी कई गुना ज्यादा और कोई खाने की वस्तुएं नहीं हों तो क्या केवल गेहूं खाकर रहा जा सकता है? उत्तर साफ है नहीं, एक तो केवल गेहूं खाते खाते बहुत जल्दी ऊब जायेंगे। दूसरे शरीर को संतुलित बनाये रखने के लिए प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, वसा, शक्कर आदि अनेकों तत्वों की जरूरत होती है। इसलिए हमारे भोजन में गेहूं, चावल, दाल, तरह तरह की सब्जियां, भाजी, कंद मूल (आलू, प्याज, गाजर, मूली, शलजम, चुकन्दर आदि) फल फूल, तेल, घी, मिर्च, मसाले, अंडा, मछली, मांस, दूध, दही, मट्ठा, पनीर तरह तरह की अनेकों वस्तुएँ शामिल करते हैं। जिस तरह से भोजन की यह विविधता मनुष्य के स्वास्थ्य और शरीर को संतुलित रखने के लिए जरूरी है उसी तरह प्रकृति को और उसमें पाये जाने वाले सभी जीव जन्तुओं और पेड़ पौधों सहित सभी वनस्पतियों के जीवन को स्वस्थ बनाये रखने के लिए जीव जगत में पाई जाने वाली अधिक से अधिक किस्मों की जरूरत है।

दूसरी बात जो ज्यादा बुनियादी है वह यह कि जीव जगत में सभी का जीवन एक दूसरे पर टिका है। कहते हैं कि जीव: जीवस्य भोजनम् अर्थात् एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। हम जो अनाज, सब्जी भाजी, कंद मूल, फल फूल आदि खाते हे। वह भी तो वनस्पति जगत की जीवित वस्तुएं हैं। इसे एक और उदाहरण से विस्तार में समझने की कोशिश करें। जैसे चीतल घास खाता है, और बाघ चीतल को खाता है, इसी तरह की अलग अलग बहुत सी कड़ियां मिलकर भोजन श्रृंखला (फूड चेन) बनाती है और बहुत सी भोजन श्रृंखलाएँ मिलकर बुनती हैं जीवन का जाल। भोजन श्रृंखलाओं से मिलकर बने

जीवन के इस जाल में जितनी अधिक कड़ियां और शृंखलाओं के ताने बाने होंगे उतना ही मजबूत और स्वस्थ होगा हमारा जीवन।

तो इसका मतलब क्या यह है कि जीव जगत में जो भी है सब एक दूसरे से जुड़े हैं ?

हां सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे पर आश्रित भी हैं, वे एक दूसरे को पालते पोसते भी हैं, समृद्ध करते हैं। जीव जगत में सब एक दूसरे के साथ और एक दूजे के लिए जीते हुए सहजीवन का अच्छा उदाहरण पेश करते हैं। जैसे मधुमक्खी पौधों का परागण कर फसलों की पैदावार बढ़ाते हैं तो उन्ही पौधों का मकरन्द मधु मक्खी को भोजन देता है। पीपल, बरगद आदि वृक्ष अनेक पक्षियों को भोजन और आसरा देते हैं तो पक्षी उनके बीजों का प्रसारण करके उनकी प्रजातियों को फैलाते हैं या पक्षी फसलों के दाने खाते हैं तो उनमें लगने वाले कीड़े खाकर उनकी रक्षा भी करते हैं। जीव जगत सहजीवन के अनेकों उदाहरणों से भरा पड़ा है।

कहां गये गिद्ध?

हम भले ही गिद्ध दृष्टि या गिद्ध की तरह झपटने आदि मुहावरों से गिद्ध को एक गलत प्राणी समझते हैं परन्तु हकीकत कुछ और ही है। वह यह कि गिद्ध हमारे वातावरण के एक अहम सफाई करने वाले हैं। यदि मरे हुए जानवरों को गिद्ध न खायें तो ! सोचिए भला मरे हुए पशुओं की सफाई करने वाले हमारे दोस्त हमसे रूठकर कहीं चले जायें तो!

यदि जानवरों के शरीर में ही विषैले रसायन हों तो धीरे-धीरे इन विषैले रसायनों की मात्रा गिद्धों में बढ़ती रहती है। रक्त में जब यह मात्रा घातक अनुपात में पहुंचती है तो गिद्धों की मृत्यु हो जाती है। ऐसा ही किया "डाइक्लोफैनिन" नाम की दवा ने जो मवेशियों की चिकित्सा में उपयोग की जाती है। इस विषैली दवा के अवशेष गिद्धों में पहुंचे और धीरे-धीरे उनकी मात्रा बढ़ती गई। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित देश एवं राज्य के कई क्षेत्र गिद्ध विहीन हो चुके हैं।

जीवन के जाल के ताने बाने में यदि कहीं भी कमजोरी आयेगी तो उसका असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से सभी पर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि जीव जगत में जितनी भी जैविक सम्पदा है वह स्वस्थ और सम्पन्न बनी रहे। यह बात समझना जरूरी है कि जैवविविधता की सुरक्षा, संवर्धन, और इसकी मजबूती से ही जीवन स्वस्थ, समृद्ध और सुखी होगा।

जैवविविधता के मायने में मध्यप्रदेश?

हालांकि जैवविविधता का समूचा वर्णन करना तो बाहों में आकाश को समेटने जैसा है फिर भी प्रदेश की जैवविविधता की महत्वपूर्ण जानकारी यहां देने की कोशिश की जा रही है।

भारत विश्व के 96 सबसे सम्पन्न जैवविविधता वाले राष्ट्रों में एक :

विश्व में सबसे सम्पन्न जैवविविधता वाले 96 देश हैं, जिनमें भारत 99वें स्थान पर है।

भारत में जैवविविधता की सम्पन्नता का मुख्य कारण देश में इलाकों या इको सिस्टम की विविधता है। एक ओर हिमालय पर्वत में बर्फ से ढंके (एल्पाइन) क्षेत्र तो दूसरी ओर थार का रेगिस्तान, पश्चिमी थार और

पूर्वोत्तर भारत के सदा हरित वन या फिर मध्य भारत के पठार जैसे इलाके, उसी के अनुरूप वहां पाये जाने वाले जीव।

- ☞ मध्यप्रदेश राज्य में कई तरह के इलाके (ईको सिस्टम) हैं, जैसे नदियों, घाटियों, पहाड़, पठार, बीहड़, मैदानी इलाके हैं। जितने तरह के इलाके या इको सिस्टम, उतनी तरह की प्रजातियां और किस्में मिलने की सम्भावना रहती है।
- ☞ इलाकों में विविधता के कारण ही राज्य में ४ तरह के प्रमुख जंगल, ६ राष्ट्रीय उद्यान, २५ अभयारण्यों से ही इसे बाघ प्रदेश (टाईगर स्टेट) कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। आज भी मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनक्षेत्र वाला राज्य है।
- ☞ राज्य में लगभग पांच हजार तरह के पौधे हैं, जिनमें सैकड़ों औषधीयुक्त पौधे हैं।
- ☞ राष्ट्रीय पक्षी मोर सहित ५०० पक्षियों की प्रजातियां। १६५ से अधिक मछलियों की प्रजातियां। कुछ विशेष स्तनधारी जैसे चंबल नदी में पाई जाने वाली सौंस (गैजेटिक डाल्फिन) राज्य में पाई जाती हैं।
- ☞ कड़कनाथ मुर्गे, मालवी, निमाड़ी और ग्वालों जैसी गौ वंश की नस्लें विविधता का ही परिचायक हैं।
- ☞ धान की हजारों किस्में (पुराने मध्यप्रदेश में कृषि वैज्ञानिक डॉ रिछारिया ने २३,५०० धान की किस्मों की पहचान की थी)
- ☞ कोदों, कुटकी, समा, ज्वार, बाजरा, मक्का, सहित मोटे अनाजों की कई किस्में।
- ☞ केवल लघु वन उपज ही लगभग एक हजार करोड़ से अधिक की अर्थव्यवस्था का आधार है।
- ☞ इसी जैवविविधता से जुड़े हुए जनजातीय एवं ग्रामीण समुदाय के अनेक रीति-रिवाज और मान्यताएँ। साजा के वृक्ष में जहां आदिवासियों के बड़े देव बसते हैं, वहीं पीपल में भगवान विष्णु।

जैव विविधता के संरक्षण और आजीविका की मजबूती के लिए चुनौती

इस सम्पन्न जैवविविधता का प्रदेश के लिए क्या महत्व है?

जैवविविधता की जिस बानगी का ऊपर जिक्र किया गया है वह विकास की निरन्तर (टिकाऊ) धारा को बनाये रखते हुए प्रदेश के लाखों जनों की रोजी रोटी को मजबूती प्रदान करते हुए कुदरत के संतुलन को बनाये रखने में सहायक है। राज्य की इस जैवविविधता में भविष्य की न जाने कितनी संभावनाएँ छिपी हुई हैं। चाहे वह बढ़ती आबादी के लिए खाद्यान्न को लेकर हो, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, गंभीर बीमारियों से लड़ाई की बात हो।

क्या यह विडम्बना नहीं कि राज्य के सबसे अधिक जैवविविधता सम्पन्न क्षेत्र विकास की धारा में अभी भी काफी पीछे हैं?

यह सही है कि राज्य के वे क्षेत्र जो अभी भी काफी हद तक जैवविविधता सम्पन्न हैं, वहीं गरीबी और अभाव की जिन्दगी भी है। कुछ क्षेत्रों में मौसमी पलायन की स्थिति भी बनती है। यही तो सबसे बड़ी विडम्बना और विरोधाभास है। इस सबके चलते, तथा कई अन्य कारणों के मिलेजुले प्रभाव से धीरे धीरे कई पौधे और फसलों की किस्में कम होती जा रही हैं कई प्रजातियां तो अब बिल्कुल विलुप्त प्रायः ही हो गई हैं। कई वन्य प्राणी दुर्लभ और संकटापन्न स्थिति में पहुंच गये हैं।

खत्म होती धान की किस्में!

अनाज की एक ही प्रजाति की अलग अलग बहुत सी किस्में पाई जाती हैं। इन किस्मों की अलग-अलग विशेषताएँ होती हैं जैसे कुछ कम समय में पकने वाली तो कुछ कम पानी में होने वाली या बीमारियों से लड़ने की क्षमता वाली किस्में तो कुछ विपरीत परिस्थितियों में सहारा देने वाली किस्में प्रकृति के भण्डार में सभी के लिए सभी परिस्थितियों में कुछ न कुछ देने वाली किस्में मौजूद रही हैं।

प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ रिछारिया ने अविभाजित मध्यप्रदेश में धान की २३५०० किस्में पता की थी। १९८० में उनके द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार सिवनी जिले में धान की ५७० किस्में थीं। २००३ में वन विभाग एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा आयोजित जल, जंगल, जमीन यात्रा के दौरान धान की जीराशंकर, जलकेशर, जलपोंगा, रामकेसर, जीराफूल, कालीमूँछ, साठिया सहित ११० किस्मों का पता लगाया गया। मात्र २३ वर्षों में धान की ४६० किस्मों का गायब हो जाना आखिर किस बात का संकेत है ? यदि इसी रफ्तार से हम जैविक सम्पदा की किस्में खोते गये तो हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा? क्यों खत्म हो रही हैं ये किस्में?

यह हालत बनी क्यों ?

- जनसंख्या एवं पशु संख्या में लगातार वृद्धि के कारण वनोपज (विशेषकर जलाऊ लकड़ी, चारा, बांस एवं बल्ली तथा लघु वनोपज आदि) की लगातार बढ़ती मांग से जैवविविधता से सम्पन्न क्षेत्रों का कम होते जाना और गुणवत्ता में कमी का आना।
- पहले के दशकों में वन क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एकल प्रजाति एवं बाहर से लाई गई प्रजातियों का रोपण तथा मिश्रित वनों के स्थान पर आर्थिक रूप से उपयोगी एकल प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाना।
- विकास की बड़ी परियोजनाओं से प्रभावित हुए जैवविविधता बाहुल्य क्षेत्र। उदाहरण के लिए केवल इंदिरा सागर परियोजना में ही ४५००० हेक्टेयर भूमि तथा ४४००० हेक्टेयर जंगल डूब गये।
- लघुवनोपज, विशेषकर ऐसी औषधीय प्रजातियां जिनकी बाजार मांग बढ़ी उनके अंधाधुन्ध दोहन के कारण ऐसी अनेकों प्रजातियां अब विलुप्त प्रायः होने लगी हैं। उदाहरण के लिए श्योपुर कराहल क्षेत्र से सतावरी, महाकौशल सतपुड़ा के अनेकों क्षेत्रों से सफेद मूसली अब विलुप्त प्रायः हो चली है।

- इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में वन्य प्राणियों विशेषकर शेर के विभिन्न अंगों के औषधीय उपयोग हेतु बढ़ती मांग के कारण अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने हैं।
- जैवविविधता से प्राप्त लाभों के समुचित बंटवारे की व्यवस्था न होना जैवविविधता को बचाने की कीमत जहां एक ओर स्थानीय समुदायों को चुकानी पड़ती है, जबकि इसके लाभ राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय तक को मिलते हैं। उदाहरण के लिए जैवविविधता संरक्षण हेतु स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों के प्रत्यक्ष लाभ तो पर्यटन को मिलते हैं, पर जंगली जानवरों के कारण फसल और मवेशी की नुकसानी स्थानीय समुदायों का उठानी पड़ती है।
- खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु सत्तर और अस्सी के दशक में व्यापक रूप से विपुल उत्पादन के तरीके अपनाये गये। इन तरीकों में संकर बीजों, रासायनिक खाद और कीटनाशक, सिंचाई एवं मशीनीकरण को लगभग सभी भौगोलिक क्षेत्रों में बढ़ावा दिया गया। मिश्रित कृषि के स्थान पर एकल फसल आधारित विपुल उत्पादन की मान्यता बनी। इन प्रयासों से सत्तर और अस्सी के दशक में देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में तो मदद मिली, पर इस माडल से पर्यावरण और जैवविविधता को हुए नुकसान अब सामने आ रहे हैं।
- उत्पादकता की अंधाधुन्ध दौड़ में पशुपालन के क्षेत्र में भी आयातित नस्लों की प्राथमिकता रही। जर्सी और होल्स्टन फ्रीजन से पैदा संकर नस्लों ने कमांड क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंचाया लेकिन वर्षा आधारित पठारी आदिवासी अंचलों में यह प्रयोग अधिकांशतः सफल नहीं रहे।
- जैवविविधता सम्पन्न क्षेत्रों में अधिकतर वर्षा आधारित कृषि होती है। आज भी ऐसे कई पठारी क्षेत्रों में किसान जैविक और मिश्रित खेती को परम्परागत ढंग से कर रहे हैं। कई मोटे अनाज जैसे कोदों, समां, मंडवा की खेती भी इन क्षेत्रों में होती है। इन परम्परागत फसलों में विशेषकर मोटे अनाजों में अधिक उत्पादन अभी तक संभव नहीं हो पाया है।
- अन्तर्विभागीय नीतियों एवं कार्यक्रमों में जैवविविधता के मुद्दों का पर्याप्त समावेश नहीं हो पाया है।

शरीर में घुलता जहर!

पंजाब को आधुनिक खेती में बहुत उन्नत प्रदेश माना जाता है। कीटनाशकों का उपयोग करने में पंजाब में प्रति हैक्टेयर कीटनाशक उपयोग सबसे ज्यादा होता है।

भटिंडा और रोपड़ जिलों के चार गांवों में २० किसानों के खून की जांच में ६ से १५ प्रकार के कीटनाशक पाये गये। खतरनाक बात यह है कि औसत अमरीकी किसान के शरीर में पाये गये कीटनाशकों की मात्रा के मुकाबले १५ से ६०५ गुना ज्यादा पाई गई। खून में मोनोक्लोरोफास, फास्फामिडान, क्लोरोपाईरोफास और

मैलाथियान जैसे अत्यंत जहरीले कीटनाशक मौजूद हैं। ये कीटनाशक शरीर में पहुंचकर सबसे पहले प्रतिरोधक क्षमता कम करते हैं। कीटनाशकों का छिड़काव करने वाली महिलाओं में घरेलू महिलाओं की तुलना में असामयिक गर्भपात, गर्भ में शिशुओं की मृत्यु, जन्म के समय बच्चे की मृत्यु के प्रकरण कई गुना पाये गये। पंजाब सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पी.जी.आई.एम.ई.आर.) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ की शोध रिपोर्ट के अनुसार कीटनाशकों के प्रभाव से कैंसर की बीमारी होना बताया गया है।

फिलीपीन्स के इंटरनेशनल राईस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने घोषित किया है कि धान के खेतों में कीटनाशकों का इस्तेमाल एक भयंकर भूल थी। दर्जनों उदाहरण पेश करते हुए इस संस्थान ने कहा है कि जिन देशों में धान के खेतों में कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया था, या कम किया गया, वहां पैदावार बढ़ने के साथ साथ कीड़े भी कम पाये गये। इससे किसानों का खर्चा कम हुआ और पर्यावरण भी साफ रहा।

चुनौतियों के बीच नये रास्ते

इन समस्याओं / चुनौतियों को लेकर नया रास्ता बनाने के क्या कोई उदाहरण के लिए हमारे सामने हैं?

कहते हैं ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका कोई हल न हो। इन समस्याओं और चुनौतियों के बीच ही रोशनी की किरणों की तरह कुछ कोशिशें रास्ता दिखा रही हैं। आइये इन कोशिशों का जायजा लिया जाये।

जैव संसाधन (चार) के संरक्षण से बढ़ी आमदनी :

सिवनी जिले के छपारा विकासखण्ड में ३७ घरों का एक छोटा सा ग्राम सोठावाड़ी। सिंचाई के साधनों की कमी तथा हल्की जमीन के कारण जमीन सभी को रोजी रोटी (आजीविका) उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। वन उपज उनकी रोजी रोटी का प्रमुख साधन है। सोठावाड़ी और आसपास के गांवों में अचार (जिसके बीज से चिरोंजी निकाली जाती है) बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा करके बाजार में बेचा जाता है। कर्ज में फंसे आदिवासी अधिक पैसा पाने के चक्कर में अचार को पकने से पहले ही तोड़ लेते थे, डालियां और कभी-कभी तो पेड़ ही काट डालते थे। कम गुणवत्ता का अचार तोड़ने से उन्हें एक ओर कम दाम मिलते तो वहीं दूसरी ओर डालियां और पेड़ काटने के कारण अचार की मात्रा भी कम होती गई।

१९९८ में गठित सोठावाड़ी वन समिति ने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए वन संरक्षण और ग्राम विकास के कामों को हाथ में लिया। वर्ष २००२-०३ में सोठावाड़ी एवं १०-११ गांव की वन समितियों ने मिलकर अचार संग्रहण हेतु पुख्ता व्यवस्था बनाने का फैसला किया -

- १) अचार पकने पर ही तोड़ेंगे, बैशाख माह में अक्ति (अक्षय तृतीया) का त्यौहार आता है उस समय अचार पककर टपकने लगता है। समितियों ने तय किया कि अक्ति के पहले अचार नहीं तोड़ेंगे।
- २) नुकसान से बचने के लिए डालियां और पेड़ नहीं काटेंगे।
- ३) इकट्ठा किये गये अचार की सफाई पानी में अथवा बैलों से गहाई करके ही की जायेगी।
- ४) मजबूरी में, कम दाम लेकर अचार को साहूकारों को नहीं बेचेंगे ऐसी स्थिति में वन समितियां अचार खरीद लेंगी और जब अच्छे दाम मिलेंगे तब बाजार में बेचेंगे।

समितियों के इन फैसलों से दो फायदे हुए - पहला यह कि पका अचार इकट्ठा करने से अचार की कीमत अच्छी मिलने लगी। दूसरा फायदा यह कि पैसों की जरूरत समिति से पूरी हो जाने के कारण उन्हें तुरन्त कम दामों पर अचार बेचने की मजबूरी खत्म/कम हो गई। वर्ष २००५ में सोठावाड़ी वन समिति द्वारा अचार गुटली से चिरोंजी निकालने की मशीन स्थापित की गई है।

यहां हम देखते हैं कि सोठावाड़ी में प्राकृतिक संसाधनों का सामूहिक और सही तरीके से दोहन करके वहां के आदिवासियों ने अपनी आजीविका को मजबूत किया और अचार के पेड़ नष्ट होने से बचाकर जैविक सम्पदा के संरक्षण का एक उदाहरण पेश किया। इन प्रयासों में वन विभाग द्वारा एक सहयोगी की भूमिका निभाई गई।

ऐसे ही कुछ प्रयास राज्य के अन्य अंचलों में भी शुरू हुए हैं। जरूरत है, इन प्रयासों को फैलाने की और लम्बे समय तक देखने तथा समझने की ताकि इनसे सीखा जा सके।

परम्परागत बीजों का संरक्षण :

झाबुआ जिले की सम्पर्क संस्था आदिवासियों के परम्परागत अनाज के बीजों को बचाने की कोशिश में लगी है। सतना जिले के पिथौराबाद में सर्जना सामाजिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच के कार्यकर्ता परम्परागत धान के बीज इकट्ठा करके उनकी खेती की शुरूआत करने वाले हैं। अनेकों किसान जैविक खेती अपना रहे हैं। ये सभी पहल आज जरूर छोटी लग रही हैं परन्तु यह भी सच है कि पगडण्डी ही शिखर तक पहुंचती है।

जैविक खेती में अगुआ मलगांव की कहानी

पूर्वी निमाड़ के खण्डवा जिले का एक गांव है, मलगांव। वर्षा ऋतु की आंख मिचौली साल दर साल चलती ही रहती है। वैसे औसत वर्षा लगभग ८५० मि.मी. है। वर्ष २००० में केवल ४२८ मि.मी. वर्षा दर्ज हुई। खरीफ फसल तो लगभग खत्म हो गई, पीने के पानी और चारे की भारी किल्लत हुई। फलस्वरूप अगले साल यानी २००१ की बोनी के लिए किसानों के पास बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के लिए पैसे तक नहीं। इन सब परिस्थितियों ने गांव के किसानों को अपनी खेती-बाड़ी के तौर-तरीकों पर नये सिरे से सोचने को मजबूर कर दिया।

कृषि विभाग ने सहयोगी की भूमिका निभाई। ग्रामसभा में खुली चर्चा और कारणों की विवेचना हुई। ऐसे कार्यक्रमों पर सहमति बनी, जो मिट्टी और पानी का संरक्षण करे, मिट्टी में जैविक तरीके से पोषक तत्वों को पहुंचाए एवं पानी की खपत को कम करे तथा रासायनिक कीटनाशकों की जगह जैविक कीटनाशकों का प्रयोग हो, जो केवल शत्रु कीटों को नष्ट करे और मित्र कीटों को बढ़ावा दे। कृषि विभाग और जिला पंचायत की मिली-जुली मुहिम और किसानों के सामूहिक प्रयासों से गांव में सैकड़ों की संख्या में जैविक खाद हेतु नाडेप/ भू-नाडेप, वर्मी कम्पोस्ट और बायोगैस संयंत्रों की स्थापना, एक ही वर्ष में पूरी हुई। लगभग २२ लाख रुपये की जैविक खाद किसानों को उन्हीं के स्रोतों से उपलब्ध हुई। पानी का संरक्षण और जैविक उत्पादों की पैदावार अगले वर्ष से शुरू हुई। ग्राम सभा ने उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिये किसानों को पंजीबद्ध करना शुरू किया। गांव की कृषक पाठशाला जैविक कृषि पर जानकारी के आदान-प्रदान का एक सशक्त माध्यम बनी।

चुनौतियों से जूझते हुए, संरक्षण आधारित सदा हरित कृषि का एक उत्कृष्ट नमूना मलगांव ने प्रस्तुत किया है।

कानी आदिवासी समुदाय को मिला आर्थिक लाभ उनके देशज ज्ञान से

वर्ष १९८७ में डॉ पुष्पागंदन और उनका वैज्ञानिक दल पश्चिमी घाट क्षेत्र में जैवविविधता से जुड़े देशज ज्ञान की खोज में कठिन यात्रायें कर रहा था। साथ में कानी आदिवासी समुदाय के व्यक्ति भी थे। डॉ पुष्पागंदन और उनके साथी डॉ राजशेखर जब काफी थकावट महसूस कर रहे थे, तो उसी समय कानी समुदाय के लोगों ने उन्हें कुछ बीज खाने को दिये। बीजों का सेवन करते ही नई शक्ति का संचार महसूस हुआ। डॉ पुष्पागंदन ने यह भी देखा कि कानी युवक कठिन यात्रा के दौरान बीच-बीच में कुछ खाकर फिर दुगने उत्साह और उर्जा से चलने लगते थे। वैज्ञानिकों ने कानी युवकों को आश्वस्त किया कि अगर वे जानकारी देंगे तो उसका वे कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे और वैज्ञानिक प्रमाणीकरण के बाद उससे बने उत्पाद का लाभांश भी कानी समुदाय को मिलेगा। तब कानी युवकों ने "आरोग्यपचा" (Trichopus Zelanicum) नाम का पौधा वैज्ञानिकों को दिखाया। इस पौधे पर अध्ययन शोध और प्रमाणीकरण के बाद केरल राज्य की संस्था टी०बी०जी०आर०आई ने "जीवनी" नाम की औषधी (ड्रग) तैयार की जो व्यावसायिक उत्पादन के लिए १९९५ में जारी की गई। कानी समुदाय के परम्परागत ज्ञान के उपयोग से तैयार की गई औषधि के मुनाफे में ५० प्रतिशत का अंश कानी समुदाय को मिले ऐसा अनुबन्ध कराया गया। साथ ही ५ लाख रुपये उन्हें लाइसेंस फीस के रूप में भी दिये गये।

फिर क्या सोच हो, क्या रास्ता निकाला जाये जो राज्य की सम्पन्न जैव सम्पदा का संरक्षण भी करे और आजीविका की मजबूती भी बन सके?

राज्य की सम्पन्न जैवविविधता और उससे जुड़ी लोगों की जानकारी ग्रामीण अंचलों के विकास में आधार बने। जैव संसाधनों के संरक्षण और संवहनीय उपयोग में आने वाली सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य के विभिन्न अंचलों के उन छोटे-छोटे प्रयासों को देखना होगा। जहां एक ओर जैव संसाधनों का संरक्षण संभव हुआ, वहीं दूसरी ओर उसके सही उपयोग से आजीविका की मजबूती संभव हुई। चुनौती का सामना करने के लिए एक मिले जुले सामूहिक प्रयास की जरूरत होगी, जहां शासकीय निकाय, स्वैच्छिक संस्थायें, शोध/शैक्षणिक संस्थायें, निजी क्षेत्र, पंचायती निकाय एवं समुदाय मिल-जुलकर काम करें, एक साझा सोच को अमली जामा पहनाने के लिए।

जैव विविधता अधिनियम एवं नियम तथा सहयोगी संस्थाओं की भूमिका

जैवविविधता अधिनियम २००२ और मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता नियम २००४ किस तरह हमारी मदद कर सकते हैं?

इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य जैव संसाधनों का संरक्षण, संवहनीय उपयोग सुनिश्चित करना है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैवसंसाधनों के अनियंत्रित दोहन को रोकने में यह कानून मदद करेगा। जैवसंसाधनों एवं इससे जुड़े लोगों के परम्परागत ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों का बंटवारा, उन लोगों को भी मिले जिनकी धरोहर से ऐसा लाभ मिला, यह सुनिश्चित करने के प्रावधान अधिनियम/नियमों में रखे गये हैं।

जैवविविधता अधिनियम/मध्यप्रदेश जैवविविधता नियमों के अन्तर्गत किस प्रकार की संस्थाओं/संगठनों का प्रावधान किया गया है?

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण है, जो विदेशी व्यक्तियों, संस्थाओं या कम्पनियों की जैव संसाधन तक पहुंच या संग्रहण सम्बन्धी आवेदन और अन्य मामले देखेगा। किसी भी शोध के परिणामों की जानकारी विदेशियों को देने संबंधी मामले प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आयेंगे।

राज्य स्तर पर राज्य जैवविविधता बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक सम्पदा के मामले राज्य जैवविविधता बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक सम्पदा के उपयोग की अग्रिम सूचना बोर्ड को देना जरूरी है। जैवविविधता संरक्षण के उद्देश्यों के खिलाफ जाने वाली किसी भी गतिविधि पर बोर्ड रोक लगा सकता है।

स्थानीय स्तर पर जैवविविधता प्रबन्धन समितियों का प्रावधान है। इन समितियों की जिम्मेवारी जैवविविधता संरक्षण, संवहनीय उपयोग (जैविक सम्पदा का इस तरह उपयोग कि उसका लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहे) जैविक सम्पदा और स्थानीय ज्ञान का दस्तावेज तैयार करना है।

आईये जैवविविधता अधिनियम से जुड़ी कुछ परिभाषाएँ:

जैविक विविधता : सभी (वनस्पति, प्राणी तथा वैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव) जीवों में व्याप्त भिन्नता तथा उन रहवासों की भिन्नता, जहां ये जीव बसते हैं। किसी एक जीव के भीतर पाई जाने वाली आनुवंशिक भिन्नता भी इसमें शामिल है।

जैविक संसाधन : वनस्पति, जानवर एवं सूक्ष्म जीव या उनका कोई भाग या अंग, उनसे प्राप्त जीन (आनुवंशिक इकाई) और इसके उत्पाद (मूल्य वर्द्धित उत्पादों को छोड़कर) जिनका कि वर्तमान में उपयोग एवं मूल्य हो या उनके उपयोग एवं मूल्य की सम्भावना हो। मनुष्यों के जीन इसमें सम्मिलित नहीं है।

जैविक सर्वे एवं जैव उपयोग : जीव प्रजातियों, किस्मों अथवा नस्लों, जीन, जैविक संसाधन के किसी घटक का सर्वे या संग्रहण। यह सर्वे या संग्रहण भले ही किसी भी उद्देश्य से क्यों न किया गया हो। (इसमें सम्मिलित है, सूचीबद्ध करना और जीवों पर किये गये वायोएसै अथवा वैज्ञानिक प्रमाणीकरण)।

वाणिज्यिक उपयोग : वाणिज्यिक उपयोग का मतलब जैव संसाधनों का अन्तिम रूप में वाणिज्यिक उपयोग से है। इसमें सम्मिलित हैं - ड्रग्स, औद्योगिक इन्जाइम्स, खाद्यान्न में खुशबू, सुगन्ध, सौन्दर्य प्रसाधन, इमल्सीफायर, ओलियोरेजिन्स, रंग, एक्सट्रेक्ट और फसल तथा मवेशियों की नस्ल सुधार में जीन का उपयोग। परम्परागत रूप से पशु नस्ल सुधार, परम्परागत तरीकों से फसल, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन एवं पशुपालन में किये गये सुधार इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और राज्य जैवविविधता बोर्ड स्थानीय ज्ञान के संबंध में स्थानीय जैवविविधता प्रबन्धन समितियों से परामर्श करेंगे।

राज्य जैवविविधता बोर्ड के बारे में खुलासा करें

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की अधिसूचना एवं निगमित निकाय के रूप में जैवविविधता अधिनियम के प्रावधानों के तहत अप्रैल २००५ में की गई है। १० सदस्यीय बोर्ड में जैवविविधता से सम्बद्ध ५ शासकीय एवं ५ अशासकीय सदस्य हैं। बोर्ड की भूमिका जैवविविधता संरक्षण, जैविक सम्पदा के संवहनीय उपयोग एवं जैविक स्रोतों से उपलब्ध लाभों के न्यायपूर्ण और बराबरी की साझीदारी के लिए सभी सहयोगियों के साथ सामंजस्य बनाने में है। बोर्ड की भूमिका निम्नानुसार है:-

- जैविक स्रोतों के वाणिज्यिक उपयोग पर नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।
- जैवविविधता और उससे जुड़ी लोगों की जानकारी के दस्तावेजीकरण (लोक जैवविविधता पंजी) के माध्यम से जैव संसाधनों से सम्बद्ध सूचना तंत्र विकसित करवाना तथा लोगों के परम्परागत ज्ञान की पर्याप्त सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाना।
- जैवविविधता संबंधी शोध एवं अध्ययन करवाना।
- जैवविविधता प्रबन्ध समितियों, स्वैच्छिक संस्थाओं स्कूलों/कालेजों, एवं अन्य इकाइयों सहित सभी सहभागियों की जागरूकता एवं क्षमता वृद्धि में सहयोग करना।
- विभिन्न ऐजेन्सियों की नीतियों और योजनाओं में जैवविविधता के प्रति सरोकार तथा जैवविविधता पर आधारित आजीविका को प्रोत्साहित करना।
- जैवविविधता संरक्षण के अन्तःस्थलीय(इन-सिटू) एवं बाह्य स्थलीय (एक्स-सिटू) प्रयासों को मजबूत करने एवं जैवविविधता बहुल विरासत स्थलों की स्थापना में मदद करना।
- जैव संसाधन आधारित आजीविका के उपक्रमों को बढ़ावा देना।
- जैवविविधता मसलों पर शासन को सलाह देना।

अन्तःस्थलीय और बाह्य स्थलीय प्रयास क्या हैं ?

जो जैविक सम्पदा कुदरतन जहां होती है वहीं उसके संरक्षण और सही ढंग से उपयोग करने को इन-सिटू या अन्तःस्थलीय प्रयास कहते हैं । उदाहरण के लिए यदि जंगलों में प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली सफेद मूसली अथवा सतावरी के संरक्षण और सही ढंग से उपयोग की यदि व्यवस्था कायम करते हैं तो इसे अन्तःस्थलीय प्रयास कहेंगे। इसी प्रकार उदाहरण के तौर पर धान की परम्परागत किस्में जैसे रामकेर, तुलसी अमृत जैसी कई किस्मों को यदि किसान अपने खेतों में उगाते हों तो वह अन्तःस्थलीय संरक्षण के प्रयास की श्रेणी में आयेगा। इसके विपरीत यदि सतावरी और काली मूसली की खेती जंगल के बाहर की जायें तो वह बाह्य स्थलीय संरक्षण की श्रेणी में आयेगा। चिड़ियाघर जहां कई प्रकार के प्राणियों को रख कर उनके खान पान और परिवार की बढ़ोत्तरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, यह बाह्य स्थलीय संरक्षण कहलायेगा। इसी प्रकार कृषि फसलों की किस्मों को जीन बैंक के माध्यम से जब वैज्ञानिक संरक्षित करते हैं तो वह बाह्य स्थलीय प्रयास कहलाता है।

नियमों में स्थानीय निकायों की बात कही गई है, स्थानीय निकाय क्या हैं और इनकी क्या भूमिका होगी?

जैवविविधता संरक्षण की गतिविधियों को संचालित करने के लिए गठित की गई स्थानीय प्रतिनिधि संस्थायें जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभाएँ तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम **”जैवविविधता प्रबन्धन समितियाँ”** गठित करेंगी। जैविक सम्पदा की सुरक्षा, तथा इस सम्पदा को कम या नष्ट किये बिना इसे भविष्य में भी उपयोग के लिए सुरक्षित रखने तथा जैवविविधता के लाभों का समान और न्यायपूर्ण बंटवारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी जैवविविधता प्रबन्धन समिति का गठन करेगा। यह समिति जिन सदस्यों से मिलकर बनेगी उनमें जड़ी-बूटी, किसानों तथा जैवविविधता से जुड़े पहलुओं के जानकार होंगे। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो जैविक सम्पदा को बचाने के प्रति गंभीर चिन्ता रखते हों तथा इन विषयों को समझते हों इन समितियों में समाज के सभी वर्गों खासकर वंचित वर्गों (महिलायें, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) के सदस्य जरूर होंगे। कुल मिलाकर यह समिति स्थानीय निकायों में जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक, गंभीर, सक्रिय सामाजिक कामों में रुचि लेने वाले संवेदनशील सदस्यों का समूह होगी।

यदि इस समिति का गठन गंभीरता से नहीं हुआ, गंभीर और सक्रिय सदस्य इसमें नहीं लिए गए और केवल खानापूर्ति करके ही समिति बनाई जायेगी तो कोई फायदा नहीं होगा और फिर वही ढाक के तीन पात वाली कहावत दोहराई जावेगी। इसलिए पूरी बात अच्छी तरह से समझ लेने के बाद ही समितियाँ बनेंगी तो उपयोगी होगा।

स्थानीय निकाय चाहें एक समिति गठित कर सकते हैं या अपनी वर्तमान समितियों में से किसी एक समिति या सामान्य सभा को यह दायित्व सौंप सकते हैं। इस समिति के कार्य इस तरह होंगे:-

- जैवविविधता तथा उससे संबंधित ज्ञान का दस्तावेज तैयार करना और उसकी पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस दस्तावेज को लोक जैवविविधता पंजी भी कहते हैं।
- वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए प्राप्त की जाने वाली जैविक सम्पदा पर बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप शुल्क लगाना।
- संरक्षण सुनिश्चित करते हुए तथा जैविक सम्पदा को कायम रखते हुए दोहन और उससे प्राप्त लाभों का बराबरी से बंटवारा सुनिश्चित करना।
- स्थानीय योजना में जैवविविधता के सरोकारों को शामिल करना।
- संरक्षण को ध्यान रखते हुए रोजी रोटी की संभावनाएँ तलाशना।

इन समितियों का गठन कैसे किया जायेगा? क्या एक और नई समिति का गठन किया जायेगा?

स्थानीय निकाय (ग्रामीण क्षेत्र) में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका, तथा नगर निगम) अपनी बैठक बुलायेंगे। बैठक में सचिव या मुख्य कार्यपालिक अधिकारी -

- सदस्यों को जैवविविधता के महत्व के संबंध में जानकारी दें।
- मध्यप्रदेश शासन के १७ दिसम्बर, २००४ के राजपत्र में प्रकाशित जैवविविधता एवं जैवप्रौद्योगिकी विभाग के नियमों को विस्तार से बतायें।
- खासकर जैवविविधता प्रबन्धन समिति के संबंध में विस्तार से चर्चा करें।
- चर्चा के बाद तय करें कि इस विषय में रुचि रखने वाले सदस्य या जानकार सदस्यों को इस समिति में रखें और नियमों में समिति के संबंध में बताए गये अनुसार अलग अलग क्षेत्रों, वन, कृषि, पशुधन, स्वास्थ्य, मछली पालन तथा शिक्षा के क्षेत्र से छः सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामांकित करें। जिससे ये सदस्य समिति में अपने विषय से संबंधित जानकारी देकर मामले को समझने और कोई फैसला करने या संबंधित कार्यवाही करने में मदद कर सकें।
- स्थानीय निकाय की बैठक में यह भी तय कर सकते हैं कि अलग से कोई समिति न बनाकर अमुक समिति को यह जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। या सामान्य सभा ही इस जैव विविधता प्रबन्धन समिति की भूमिका निभाये। इस आशय का संकल्प पारित कर विचार विमर्श के बाद जो भी तय हो वह फैसला कार्यवाही पंजी में दर्ज कर लें।
- सभी परिस्थितियों में विशेष आमंत्रित सदस्यों को जरूर नामांकित करें।

जैवविविधता की जानकारी का "लोगों का दस्तावेज" (Peoples' Biodiversity Register (PBR)) क्या है? कैसे तैयार करना है इसे?

जैवविविधता प्रबन्धन समितियों का एक मुख्य कार्य जैव संसाधनों की जानकारी का दस्तावेज तैयार करना है।

- समितियां पहले तो अपने कार्यक्षेत्र में पाई जाने वाली जैविक सम्पत्ति के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों के जानकारों तथा आमंत्रित सदस्यों से मोटी मोटी जानकारी लें।
- इस विषय से संबंधित साहित्य इकट्ठा करें उसे देखें, समझें।
- अपने कार्य क्षेत्र में पाई जाने वाली जैविक सम्पत्ति को एक पंजी में दर्ज करायें। इसे जन जैवविविधता पंजी कहते हैं।
- यह पंजी बनाना एक बड़ा काम है जिसे वे अपने क्षेत्र के पढ़े लिखे नौजवानों, स्कूल, कालेज, के छात्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों, नेहरू युवा केन्द्र के सदस्यों, स्वैच्छिक संस्था के सदस्यों, वन समितियों, शिक्षक आदि लोगों से सम्पन्न करायें।

- जिन्हें भी यह पंजी बनाने का काम सौंपे उन सबको मिलकर पहले इस काम को समझ लेना चाहिए ।
- मार्गदर्शन के लिए विषय के जानकारों से विशेष मदद लें। जिले में एक जैवविविधता तकनीकी सहयोग समूह होगा उससे सलाह लें।
- जैवविविधता बोर्ड अलग अलग अंचलों में स्वैच्छिक संस्थाओं के सदस्यों को जन जैवविविधता पंजी तैयार करने के लिए कार्यशालाओं के जरिए जानकार बना रहा है। एवं इस प्रक्रिया में संबंधित शासकीय विभागों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं यथा संभव सभी संबंधित पक्षों का सहयोग लिया जा रहा है।
- जैवविविधता पंजी में जहां एक ओर स्थानीय जानकार लोगों द्वारा दी गई जानकारी होगी वहीं दूसरी ओर इस जानकारी का वैज्ञानिक प्रमाणीकरण भी होगा । वैज्ञानिक प्रमाणीकरण करने के लिए जीवविज्ञान के विद्यार्थियों के विशेष प्रशिक्षण भी बोर्ड द्वारा आयोजित कराये गये हैं।
- इन पंजियों के आधार पर जनपद, जिला, आंचलिक और राज्य स्तरीय जैवविविधता सूचना तंत्र को बनाने में मदद मिलेगी । कम्प्यूटर के माध्यम से जैव संसाधन संबंधी अपने काम की जानकारी स्थानीय स्तर पर मिल सकेगी।

क्या कुछ होगा जैवविविधता पंजी में?

- उन समूहों की जानकारी होगी जिनकी आजीविका जैव संसाधनों पर आधारित है, साथ ही उन जैव संसाधनों का विवरण होगा जो इन समूहों की आजीविका को मजबूती देते हैं।
- खेतों, जंगलों, चारागाहों, जलाशयों, बीहड़ों, आदि का विवरण होगा और उनमें पाये जाने वाले जीवों (पौधे/जानवर दोनों सम्मिलित) की विविधता का विवरण होगा।
- स्थानीय समूहों द्वारा तय किये गये विशिष्ट जैवविविधता क्षेत्रों एवं विशेष रूप से उपयोगी प्रजातियों/किस्मों/नस्लों का विस्तृत विवरण होगा।
- जैवविविधता के संरक्षण और सही उपयोग से जुड़े प्रबन्ध के मुद्दों की जानकारी होगी, जो कि स्थानीय योजना बनाने में विशेष रूप से सहायक होंगे।
- ऐसे जानकारों की विषयवार सूची होगी, जिनकी जानकारी के आधार पर पंजी बनाई गई है।
- स्थानीय जानकारी का वैज्ञानिक प्रमाणीकरण करने वाले जानकारों को भी इस पंजी में सूचीबद्ध किया जायेगा।

यहाँ यह समझना जरूरी है कि पंजी (दस्तावेज) तैयार करने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय समय पर जानकारियां जुड़ती रहेंगी।

- यह पंजी (दस्तावेज) बन जाने से एक रिकार्ड समितियों के पास रहेगा जिसका उपयोग निम्न कामों में किया जायेगा:-

क) चिन्हित जैव संसाधनों के संरक्षण और उसके सही तरीके से उपयोग पर आधारित स्थानीय निकायों की योजना बनाने में ।

- ख) जैव संसाधन आधारित आजीविका के साधन तलाशने में।
- ग) जैविक सम्पदा के संग्राहकों को संगठित कर सही तरीके से संग्रहण (ताकि समूल नष्ट न हों), उसके प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था विकसित करने में।
- घ) यदि संभव हो तो प्रसंस्करण ईकाई लगाने में।
- ङ:) जैविक सम्पत्ति के वाणिज्यिक उपयोग पर शुल्क तय करने में।
- च) जैवविविधता पंजी अपनी जैविक सम्पदा और उससे संबंधित स्थानीय ज्ञान पर अपना बौद्धिक अधिकार स्थापित करने में सहायक हो सकती है (जैसा कि कानी आदिवासियों के मामले में हो सका)।
- छ) देशज ज्ञान (Traditional Knowledge) को सम्मान दिलाने एवं पुर्नजीवित करने में।

नगरीय निकायों में जैवविविधता प्रबन्धन का क्या औचित्य है ?

नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती आबादी की जरूरतें, उद्योग तथा बाजार व्यवस्था आदि के कारण हवा, पानी और जमीन को स्वच्छ रखने की एक बड़ी चुनौती को आसान बना सकती है।

दूषित पानी को साफ करने में जीवों की भूमिका

शहरी विकास के कारण पानी के अधिकांश स्रोत प्रदूषण का शिकार होते हैं। भोपाल के एकान्त पार्क में दूषित नाले की एक धारा को कुछ विशेष प्रकार के पौधों (रीड या सरकंडा जिसे फ्रेग्माईटिस कहते हैं) के क्षेत्र से गुजारते हैं। इन पौधों की जड़ों से छनकर पानी साफ धारा के रूप में दूसरी तरफ निकलता है। इसी प्रकार पानी के कई अन्य पौधे भी जल स्रोतों की सफाई में सहायक होते हैं।

आधुनिक जीवन प्रणाली में बढ़ते उपभोग की बढ़ती हुई मात्रा और रोज नये विकसित हो रहे साधन जितना बढ़ेंगे उतना अधिक दबाव बनेगा जैविक सम्पदा पर इसलिए उतनी अधिक गंभीर होगी चुनौती। हमारे प्राकृतिक और जैव संसाधनों के लिए अतः नगरीय निकायों की जैवविविधता प्रबन्धन समितियों की महती भूमिका बनती है।

क्या वन समितियों को जैवविविधता प्रबन्धन की जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है ?

इस प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं पहला औपचारिक नियमों, कानूनों, से बंधा और दूसरा अनौपचारिक और व्यवहारिक।

जहाँ तक औपचारिक नियमों के संदर्भ में देखें तो एकट स्थानीय निकायों को जैवविविधता प्रबन्धन की जिम्मेवारी सौंपता है। साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि यदि स्थानीय निकाय चाहे तो आम सभा में प्रस्ताव पारित कर मौजूदा किसी भी समिति को जैवविविधता के काम सौंप सकते हैं। वनांचल के अधिकांश ग्रामों में वन समितियों को स्थानीय निकायों द्वारा यह काम सौंपा जा सकता है। अब इसे हम व्यवहारिक धरातल या व्यवहार की जमीन पर देखें तो हम पायेंगे कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के

सदस्यों में वन समितियों के सदस्य स्वाभाविक रूप से होंगे ही । गांव के वयस्क मतदाता वन समिति में होते हैं और वही ग्राम सभा और पंचायतों में भी सदस्य होते हैं। लोग तो वही हैं उनसे ही वन समिति बनती है और वे ही पंचायतों को बनाते हैं जब लोग वही हैं, एक ही सरकार के नियमों से दोनों बनी हैं हर बात में जन सहभागिता, सहयोग, समन्वय और तालमेल की बात कही जाती है तो उनमें वास्तव में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति तो वही है जब वन समिति की बैठक में होगा तो वन समिति का सदस्य होगा और जब पंचायत में बैठेगा तो पंचायत सदस्य होगा। जैसे एक इंसान किसी का पुत्र है तो किसी का भाई और किसी का पिता, मोहल्ले में वह पड़ोसी है तो दफ्तर में कर्मचारी आदि आदि। कहने का मतलब व्यक्ति वही है भूमिकाएँ अलग-अलग जगह अलग-अलग हैं। इसी तरह लोग वही हैं वे वन समिति के सदस्य भी हैं, ग्राम सभा के सदस्य भी हैं, चुने जाने पर पंचायत के पंच, सरपंच भी वही हैं इस नजर से देखें तो सबकी सम्मिलित जिम्मेवारी है। व्यवस्था के लिए लोग वन समिति में और पंचायत या ग्राम सभा के सदस्य हैं। मूलतः जिम्मेवारी समाज/समुदाय के लोगों की है जिनसे वन समितियां या ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की जैवविविधता प्रबन्धन समितियां बनती हैं।

जैवविविधता समिति के काम को आसान बनाने के लिए कहां कहां से सलाह, मार्गदर्शन या सहयोग मिल सकता है?

जैसा कि पहले बताया जा चुका है जैवविविधता प्रबन्धन समिति को हर संभव जगह से मार्गदर्शन और सहयोग लेना चाहिए जैसे स्थानीय जानकारों से, किसानों से, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों से, वन, कृषि, पशुपालन आदि संबंधित विभागों से स्वैच्छिक संस्थाओं से, जिले स्तर पर जैवविविधता तकनीकी सहयोग समूह से राज्य स्तर पर जैवविविधता बोर्ड से हर संबंधित क्षेत्र से मदद मिल सकती है। दरअसल इतने व्यापक विषय को सीमाओं में बांधना उचित नहीं होगा। कहते हैं न **सबै भूमि गोपाल की या अपना काम सबका काम, सबका काम अपना काम**। असली बात है जिम्मेवारी महसूस करना और करने की मंशा होना।

जिला स्तरीय एवं आंचलिक/संभागीय जैवविविधता समर्थन समूह क्या हैं? और क्या है भूमिका?

स्थानीय निकायों के काम को आसान करने के लिए नियमों में जिला समर्थन समूह के गठन का प्रावधान किया गया है। इस समूह में जैवविविधता के क्षेत्र से सरोकार रखने वाले शासकीय विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों, पंचायती निकायों एवं स्थानीय समुदाय के जानकार व्यक्तियों आदि के प्रतिनिधि हो सकते हैं। इसी प्रकार, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राज्य जैवविविधता बोर्ड के निर्देश अनुसार आंचलिक/संभागीय समर्थन समूहों के गठन का प्रावधान किया गया है। जैवविविधता समर्थन समूहों की कुछ भूमिका इस प्रकार से है:-

- स्थानीय निकायों की जैवविविधता प्रबन्ध समितियों को जैवविविधता के दस्तावेज तैयार कराने में सहयोग करना।
- ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को चिन्हित करना और जैवविविधता बोर्ड के सहयोग से उनकी क्षमता वृद्धि करना ताकि ऐसे स्वैच्छिक संगठन स्थानीय निकायों को आवश्यकतानुसार सहयोग दे सकें।

- अंचल/संभाग में जैवविविधता बाहुल्य क्षेत्रों की पहचान कर, क्षेत्र की जैवविविधता के दस्तावेजीकरण, उसके संरक्षण एवं आजीविका को समृद्ध करने की संभावनाओं का पता लगाना।

जैवविविधता प्रबन्धन समितियों को बोर्ड किस तरह की सहायता कर सकता है?

जैवविविधता की सुरक्षा और उसके नियमन में स्थानीय निकायों की समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसमें जैवविविधता बोर्ड इस तरह से मदद कर सकता है।

- समितियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाकर।
- समिति सदस्यों के लिए प्रशिक्षण की संरचना और विषय वस्तु तैयार करके।
- स्थानीय सरल भाषा में ऐसा साहित्य उपलब्ध कराना जो जैवविविधता प्रबन्धन समितियों को अपना काम करने में मददगार हो समितियों के काम में आ रही समस्याओं को हल करने के उपाय सुझाकर।
- समितियों द्वारा किये गये अच्छे कामों का प्रचार प्रसार कर अन्य समितियों के सामने पेश करना जिससे सभी समितियों को अच्छे उदाहरणों से सिखाने में मदद हो।
- समितियों के द्वारा गांव के विकास की ऐसी योजना बनाने में मदद करना जिसमें जैवविविधता का संरक्षण मुख्य बिन्दु हो।
- समितियों के द्वारा गांव के विकास की ऐसी योजना बनाने में मदद करना जिससे जैवविविधता का संरक्षण मुख्य बिन्दु हो।
- इन समितियों के लिए आवश्यक साधन मुहैया कराकर।

स्वैच्छिक संस्थाओं की जैवविविधता संरक्षण में क्या भूमिका हो सकती है?

स्वैच्छिक संस्थाओं एवं समाज में सक्रिय सदस्यों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जैवविविधता के संरक्षण, जन जैवविविधता दस्तावेजीकरण तथा स्थानीय निकायों की क्षमता वृद्धि में, आजीविका की संभावनाएँ तलाशने सहित सभी क्षेत्रों में हो सकती है।

स्वैच्छिक संस्थाएँ स्वयं अपने कार्यक्षेत्र में जैवविविधता के संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य कर सकती हैं। इसके अलावा जैविक सम्पदा के आधार पर आजीविका को मजबूत करने के लिए नये-नये स्रोत खोज सकती हैं। जैविक संसाधनों का मूल्य संवर्द्धन कर स्थानीय समुदाय को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। या उनकी जैविक सम्पदा का उन्हें उचित मूल्य दिला सकते हैं। स्थानीय निकायों के लिए जन जैवविविधता दस्तावेज बनाने में मदद कर सकते हैं उनकी इस पंजी के आधार पर स्थानीय निकाय विकास की योजनाएँ एवं आजीविका को मजबूत बनाने की योजनाएँ बनाने में मदद कर सकते हैं। दरअसल यहां भी वही बात 'हरि अनंत, हरि कथा अनंता' कही जा सकती है। संभावनाएँ अनंत हैं कितनी संभावनाओं को कार्यरूप में परिणित किया जा सकता है यह निर्भर होगा कि कितनी लगन से मेहनत से जितने प्रयास किये जायेंगे उतनी संभावनाएँ नजर आ सकती हैं।

वाणिज्यिक उपयोग के लिए यदि जैविक सम्पदा की जरूरत है तो उसके लिए क्या तरीका होगा ?

अधिनियम की धारा २४ में जैविक सम्पदा को प्राप्त करने तथा उनके संग्रहण करने की प्रक्रिया दी गई है।

- जो भी व्यक्ति वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैवसंसाधनों का उपयोग करना चाहता है तो उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में बोर्ड को देगा। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उसे एक हजार रूपया चेक या डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा शुल्क जमा करना होगा।
- बोर्ड आवेदन की जांच पड़ताल करने और स्थानीय निकायों से सलाह करके तथा जरूरत के अनुसार जानकारी इकट्ठी करने के बाद तीन माह के भीतर फैसला करेगा।
- आवेदन को जांच परख कर यदि जैवविविधता पर गलत असर होने की संभावना दिखती है या स्थानीय समुदाय को न्यायपूर्ण ढंग से उनका हिस्सा मिलने में कोई अड़चन या कठिनाई है तो बोर्ड ऐसे उपयोग को रोक सकता है अथवा
- जैविक संपत्ति को प्राप्त करने वाले या इकट्ठा करने वालों पर बोर्ड ऐसी शर्तें लगा सकता है जिससे जैविक सम्पदा का संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- यदि निषेध संबंधी आदेश को पारित किया जाना है तो बोर्ड संबंधित पक्ष को कारण बताओ नोटिस और सुनवाई के उपरान्त ही ऐसा निषेध आदेश पारित करेगा।
- जैवविविधता के संरक्षण के लिए जैविक सम्पदा की किसी सूचना को गोपनीय भी रख सकता है जिससे कोई उसका दुरुपयोग न कर सके।

गांव के वैद्य या हकीम जड़ी बूटियों का उपयोग दवाई बनाने में करते हैं तो क्या उन्हें भी अनुमति लेने की जरूरत है?

गांव के वैद्य, हकीम और बैगा जो परम्परागत चिकित्सा पद्धति में जैव संसाधनों का उपयोग करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की पूर्व सूचना या अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इसी प्रकार स्थानीय समुदायों की जरूरतों तथा जैव संसाधनों की खेती करने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की परिधि से बाहर रखा गया है।

किन परिस्थितियों में वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव संसाधन के संग्रहण/पहुंच को निषेध किया जा सकता है?

- निकाली जा रही प्रजाति यदि संकट ग्रस्त (खत्म होने की कगार पर) हो या निकाले जाने के बाद संकट ग्रस्त होने की संभावना हो
- कोई दुर्लभ (बहुत मुश्किल से या बहुत कम मिलती हो) प्रजाति या प्रजाति की निकासी से उसके बहुत कम होने की संभावना हो

- जैविक सम्पदा निकाले जाने से यदि स्थानीय लोगों के जीवन, संस्कृति या रोजगार पर गलत असर पड़ता हो तो उसकी निकासी पर रोक लगाई जा सकती है
- निकाली जाने वाली सम्पदा से स्थानीय पर्यावरण पर गलत असर पड़ता हो या इसकी संभावना हो तो बोर्ड उस जैविक सम्पदा की निकासी पर रोक लगा सकेगा।

जैवविविधता के संरक्षण में विरासत स्थल (हेरिटेज साईट) की क्या भूमिका है?

सम्पन्न जैवविविधता वाले ऐसे स्थलों को जहां अनेकों प्रजातियों/किस्मों की प्रचुरता अपने प्राकृतिक स्वरूप में पाई जाती है, जैवविविधता विरासत स्थल घोषित किये जा सकते हैं जिससे जैवविविधता के संरक्षण को मदद मिले। ऐसे क्षेत्र जिनमें कृषि फसलों की जंगली किस्मों (वाइल्ड रिलेटिव) प्रचुरता हो, उन्हें भी विरासत स्थल के रूप में घोषित कराया जा सकता है। ऐसे स्थल पहले से घोषित संरक्षित क्षेत्रों जैसे नेशनल पार्क और अभ्यारण्य (प्रोटेक्टेड एरिया) के बाहर होंगे। राज्य सरकार स्थानीय निकायों से सलाह करके विरासत स्थल घोषित करेगी। इन विरासत स्थलों के संरक्षण और रख रखाव के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है।

जैवविविधता को संरक्षित करने की दृष्टि से स्थापित किये गये विरासत स्थल, पर्यटन, शिक्षा और जनजागृति के स्थल के रूप में भूमिका निभा सकते हैं।

18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में

- आवेदन पत्र (तथा संदर्भ के लिए एक भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति)
- शुल्क – निःशुल्क
- सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मांगी जाये – कुछ टिप्स – आवेदन पत्र प्रस्तुत करके
- सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया – सूचना प्राप्त न होने पर अपीलेट अथॉरिटी को आवेदन किया जा सकता है।

जैवविविधता नियम की प्रति प्राप्त करने हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

सदस्य सचिव,
म0 प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड,
तीसरी मंजिल, बीज भवन,
अरेरा हिल्स,
भोपाल – 462011

विषय:– जैवविविधता नियम की प्रति उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

निवेदन है कि मैं सुनील कुमार राणावत, आपके विभाग से संबंधित नियमों की जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ कृपया मुझे राज्य जैवविविधता नियम की प्रति व्यक्तिगत/डाक/ईमेल द्वारा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मेरा डाक का पता 314, कसारी नगर, हरई जिला छिन्दवाड़ा एवं ईमेल का पता skranwt@gmail.co.in है।

भवदीय,

हस्ताक्षर

(सुनील कुमार राणावत)
314, कसारी मोहल्ला, हरई
जिला छिन्दवाड़ा
आवेदनकर्ता

स्थान:– हरई

दिनांक:– 12/10/2005

- 18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण
 - प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा
 - प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य
 - प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)
 - लाभार्थी की पात्रता
 - पूर्वापेक्षाएं (यदि हों तो)
 - अनुदान/सहायता (यदि हो तो)
 - दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)
 - अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया

- आवेदन करने के लिये कहीं/किससे सम्पर्क करें
- आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो)
- अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो)
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)
- संलग्गकों की सूची
- संलग्गकों का प्रारूप
- आवेदन करने की प्रक्रिया
- चयन प्रक्रिया
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारिणी (यदि हो तो)
- प्रशिक्षण के समय के बारे में आवेदक को सूचित करने का तरीका
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्य
- विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर इत्यादि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची तथा अन्य विवरण।

– लागू नहीं

18.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के संबंध में जो कि मैनुअल – 13 में ना सम्मिलित हो

- प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का नाम व विवरण

–म0 प्र0 राज्य जैवविविधता नियम 2004 नियम 17 के अंतर्गत जैवविविधता संसाधनों का यदि वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है तो ऐसे संसाधनों तक पहुंच /उनके संग्रहण की प्रक्रिया निर्धारित की है।

- प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता

– किसी भी भारतीय नागरिक या निगमित निकाय, संगठन या भारत में रजिस्ट्रीकृत संगम द्वारा जैवसंसाधन के वाणिज्यिक उपयोग के लिए ऐसे संसाधन के संग्रहण आदि के लिए आवेदन किया सकता है।

- आवेदन करने के लिये कहीं/किससे सम्पर्क करें।

–आवेदन सदस्य सचिव म0 प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड के नाम से आवेदन / सूचना दी जानी होगी।

- आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो)

–जैवसंसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये होगा।

- अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो)

– कोई नहीं

- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)

– आवेदन पत्र का प्रारूप म0 प्र0 जैवविविधता नियम 2004 प्रारूप –1 भाग 'क' एवं 'ख' में दिया गया है।

प्रारूप – 1

(नियम 17 देखिए)

वाणिज्यिक उपयोग एवं संबंधित पारंपरिक ज्ञान हेतु/जैवसंसाधनों तक पहुँच/जैविक संसाधनों के संग्रहण के लिए आवेदन प्रारूप

भाग – क

1. आवेदक का पूर्ण विवरण
 - (क) नाम :-
 - (ख) स्थायी पता :-
 - (ग) भारत में सम्पर्क व्यक्ति/अभिकर्ता
यदि कोई हो, का पता :-
 - (घ) संगठन की रूपरेखा (यदि आवेदक कोई व्यक्ति हो तो व्यक्तिगत रूपरेखा)
(कृपया अधिप्रमाण के लिए संबंधित दस्तावेज संलग्न करें)
 - (ङ) कारबार की प्रकृति:-
 - (च) भारतीय रुपये में संगठन का व्यापारावर्त :-
2. पहुँच के लिए चाही गई प्रकृति तथा जैविक सामग्री और या संबंधित ज्ञान तक पहुँच के बारे में ब्यौरे तथा विनिर्दिष्ट जानकारी ।
 - (क) जैव संसाधन की पहचान (वैज्ञानिक नाम) एवं उसका पारम्परिक उपयोग:
 - (ख) प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलिक स्थिति (जिसमें सम्मिलित है ग्राम, जनपद तथा जिला):-
 - (ग) पारम्परिक ज्ञान का विवरण प्रकृति तथा उसका विद्यमान विवरण एवं उपयोग:- (मौखिक दस्तावेजी)
 - (घ) पारम्परिक ज्ञान रखने वाला कोई पहचाना हुआ व्यक्ति/कुटुंब/समुदाय:-
 - (ङ) संग्रहीत किए जाने वाले जैवसंसाधन की मात्रा :-
 - (च) समय सीमा जिसके भीतर जैवसंसाधन संग्रहीत किया जाना प्रस्तावित है:-
 - (छ) कम्पनी द्वारा संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम और संख्या:-
 - (ज) पहुँच का प्रयोजन, जिसके लिए अनुरोध किया गया है जिसमें सम्मिलित है अनुसंधान का प्रकार और विस्तार, उत्पन्न किया जा रहा वाणिज्यिक उपयोग और व्युत्पन्न होना प्रत्याशित है :-
 - (झ) क्या संसाधनों के संग्रहण अथवा उपयोग से जैवविविधता के किसी घटक को खतरा है । पहुँच से उत्पन्न हो सकने वाले खतरे :-
3. उन जैवसंसाधनों जिन तक पहुँच की गयी तथ पारंपरिक ज्ञान के प्रयोग से समुदायों को हो सकने वाले लाभों का प्राक्कलन ।
4. लाभों के प्रभाजन को प्रस्तावित की कार्यविधि तथा व्यवस्था ।
5. कोई अन्य जानकारी :-

भाग – ख

घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हैं कि :-

- प्रस्तावित जैवसंसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग संसाधनों की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।
- प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण एवं उपयोग से कोई पर्यावरणी समाघात नहीं होगा ।
- प्रस्तावित जैवसंसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग पारिस्थितिक तंत्र प्रजातियों तथा आनुवांशिक विविधता सहित जैवविविधता के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करेगा ।
- प्रस्तावित जैवसंसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

मैं/हम, कोई भी फीस तथा/या रायल्टी का, जो बोर्ड या जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा उदग्रहीत की जाए, भुगतान करने का वचन देते हैं । मैं/हम, अवसूलीय बैंक प्रत्याभूति जैसी कि बोर्ड द्वारा विहित की जाएं, देने का भी वचन देते हैं ।

मैं/हम अपने घोषणा करते हे कि, आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सत्य एवं प्रामाणिक है तथा मैं/हम किसी गलत/असत्य जानकारी के लिए जिम्मेदार होंगे ।

स्थान:-

तारीख:-

हस्ताक्षर

नाम:- _____
(कुलनाम) _____
अभिवान _____

- संलग्गकों की सूची
– आवेदन शुल्क का डिमांड डाफ्ट
 - संलग्गकों का प्रारूप
–
 - आवेदन करने की प्रक्रिया
– आवेदन सदस्य सचिव को किये जा सकते हैं ।
 - आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहाँ पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं)
- (1) बोर्ड, आवेदन की सम्यक समीक्षा करने के पश्चात तथा संबंधित नगरीय निकायों से परामर्श करने के पश्चात तथा ऐसी अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने के पश्चात जैसी कि वह आवश्यक समझे आवेदन का उसकी प्राप्ति से यथा संभव तीन मास की कालावधि के भीतर विनिश्चय करेगा । इस संदर्भ में अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शब्द “परामर्श” में अन्य बातों के साथ –साथ निम्नलिखित कदम भी सम्मिलित है ।

- (क) पहुँच/संग्रहण के लिए प्रस्ताव की, स्थानीय भाषा में, सार्वजनिक सूचना जारी की जाना ।
 - (ख) स्थानीय निकाय की साधारण सभा में चर्चा/संवाद और
 - (ग) संरक्षण तथा जीविका के लिए प्रस्ताव तथा उसके निष्पादन के बारे में यथोचित जानकारी उपलब्ध कराए जाने के पश्चात सभा से औपचारिक सहमति प्राप्त करना ।
- (2) आवेदन के गुणागुण से समाधान हो जाने पर बोर्ड, आवेदन को अनुज्ञात कर सकेगा या ऐसे क्रियाकलाप को निर्बन्धित कर सकेगा । यदि उसकी राय में ऐसे क्रियाकलाप जैवविविधता के संरक्षण या ऐसे क्रियाकलाप से उद्भूत लाभ के साम्यापूर्ण प्रभाजन के पोषणीय उपयोग के उद्देश्यों के लिए हानिकारक या उनके प्रतिकूल है ।
 - (3) पहुँच/संग्रहण, बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी तथा आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित करार द्वारा शासित होगा । करार का प्रारूप बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाएगा ।
 - (4) पहुँच/संग्रहण की शर्तों में, जैव संसाधनों के जिनके लिए पहुँच/संग्रहण स्वीकृत किया गया है, संरक्षण तथा अनुरक्षण के लिए विशेष रूप से उपाय किए जाएंगे ।
 - (5) बोर्ड यदि यह समझता है कि आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात आवेदन नामंजूर कर सकेगा । नामंजूरी का आदेश जारी करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा ।
 - (6) पूर्व सूचना के लिए उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप में दी गयी कोई भी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी एवं उससे असम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को साशय अथवा बिना किसी आशय के प्रकट नहीं की जाएगी ।

- आवेदन की सारी प्राथमिकताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आदि जारी करने के लिये निर्धारित समय अवधि

– आवेदन सूचना पर निर्णय 3 माह के भीतर

- प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो तो) –

–

- नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो तो) –

–

18.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में

- पंजीयन का उद्देश्य
- आवेदक की पात्रता
- पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)
- आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें
- आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो)
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)
- संलग्गकों की सूची

- संलग्गकों प्रारूप
 - आवेदन करने की प्रक्रिया
 - आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है)
 - प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो तो)
 - नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो तो)
- लागू नहीं

18.6 लोक प्राधिकरण (Municipal Corporation, Trade Tax, Entertainment Tax, आदि) द्वारा टेक्स लेने के संबंध में।

- टेक्स का नाम व विवरण
 - टेक्स लेने का उद्देश्य
 - टेक्स निर्धारण करने के लिये मापदंड व प्रक्रिया
 - बड़े (major) डिफाल्टर्स की सूची
- लागू नहीं

18.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाले बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन, आदि के संबंध में (यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका/नगर परिषद/UPCL द्वारा दी जा सकती है।)

- लागू नहीं
- आवेदक की पात्रता
 - पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)
 - आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें
 - आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो)
 - अन्य शुल्क/देय (जहाँ उचित हो)
 - आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएँ कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)
 - संलग्गनों की सूची
 - संलग्गनों का प्रारूप
 - आवेदन करने की प्रक्रिया
 - आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहाँ पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है)
 - बिल में प्रयोग किये गये शब्दों का विवरण
 - बिल तथा अन्य सेवाओं के संबंध में समस्या होने की स्थिति में सम्पर्क सूचना
 - टेरिफ तथा अन्य देय

लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण